उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 5/2740/71-1-2014-जी-348/2013
लखनऊ : दिनांक 22 सितम्बर 2014
कार्यालय-ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, बॉदा तथा मेरठ में रिक्त प्रवक्ता के पदों पर संविदा के आधार पर तैनात किए जाने के संबंध में महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 के पत्र संख्या-एम0ई0-2/2014/2499, दिनॉक 12-09-2014 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल महोदय सूची में उल्लिखित विवरणानुसार 06 अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-1364/71-1-10-जी-63/2008, दिनॉक 07-06-2010 एवं शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार संविदा के आधार पर 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए इस प्रतिबन्ध सहित नियुक्त/तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है:-

2- यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त होने वाले चिकित्सा शिक्षक:-

(1) ओ0पी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
(2) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने के स्थान को निर्दिष्ट करेंगे।
(3) मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
(4) प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
(5) निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
(6) स्थानान्तरित नहीं किये जायेंगे।
(7) संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे।

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008, दिनॉक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-1364/71-1-10-जी-63/2008, दिनॉक 07-06-2010 एवं शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011, दिनॉक 11-04-2013 में निर्धारित शर्ते व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनॉक 07-06-2010 के प्रस्तर-3(1) में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रवक्ता को रू0 40,000/- नियत वेतन देय होगा।

5- संविदा पर तैनात किये गये संबंधित अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन, स्वास्थ्य परीक्षण, उनके शैक्षणिक एवं अनुभव संबंधी प्रमाणपत्रों/अर्हता के दस्तावेजों का सत्यापन महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ/संबंधित प्रधानाचार्य अपने स्तर से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक-यथोक्त।

संजय कुमार उपाध्याय
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:-5/2740(1)/71-1-2014- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य मेडिकल कालेज, बॉदा तथा मेरठ।
4- कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बॉदा तथा मेरठ।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, बॉदा तथा मेरठ।
6- संबंधित अभ्यर्थी/चिकित्सा शिक्षक।
7- मुख्य चिकित्साधिकारी, बॉदा तथा मेरठ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

कार्यालय ज्ञाप संख्या-5/2740/71-1-2014-जी-348/2013,

दिनॉक 22 सितम्बर, 2014 का संलग्नक

क्र0	विशिष्टता का नाम/पदनाम	चयनित अभ्यर्थी का नाम एवं पता	श्रेणी	तैनाती का स्थान
1	पैथोलॉजी (प्रवक्ता)	डा0 बृजेश कुमार, पुत्र श्री लखनलाल, पता-ग्राम एवं पोस्ट-बरावन जिला फतेहपुर	सामान्य	मेडिकल कालेज, बॉदा
2	सामान्य सर्जरी (प्रवक्ता)	डा0 अनुराग श्रीवास्तव, पुत्र श्री जुगुल किशोर श्रीवास्तव, पता-म0नं0-बी-7, आवास विकास कालोनी, बॉदा	सामान्य	मेडिकल कालेज, बॉदा
3	सामान्य सर्जरी (प्रवक्ता)	डा0 अनूप कुमार सिंह, पुत्र श्री राम लखन सिंह, पता-ग्राम पैसिद्धापुर, पोस्ट-बमरौली, जिला-फतेहपुर	सामान्य	मेडिकल कालेज, बॉदा
4	डेन्ट्रेस्टी (प्रवक्ता)	डा0 अरविन्द, पुत्र श्री दलसिंगार, पता-गोमुनपुर, जिला-अम्बेडकर नगर	सामान्य	मेडिकल कालेज, बॉदा
5	ब्लड बैंक/ टॉसफयूजन मेडिसिन (प्रवक्ता)	डा0 अनिल कुमार, पुत्र श्री होशियार सिंह, पता-15-1/193, संजय कालोनी, आदर्श नगर, हापुड़	सामान्य	मेडिकल कालेज, मेरठ
6	हयूमन मेटाबालिज्म (प्रवक्ता)	डा0 संजय सरन पुत्र श्री महेश कुमार सरन, पता-3बी, द्वारिका टावर्स, गढ़ रोड, मेरठ	सामान्य	मेडिकल कालेज, मेरठ

(शैलेन्द्र नाथ शुक्ल)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in